

## वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

क्रमांक:—वमखुविवि/कुस(विधि)/2014/ 3127-64

दिनांक 27/6/14

### कार्यालय आदेश

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर राज्य सरकार द्वारा "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" दिनांक 12-10-2005 से लागू कर दिया गया है, इस सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव महोदय (गृह) (ग्रुप-5) के परिपत्र क्रमांक प.9(23)/गृह/2005 जयपुर दिनांक 03.12.2005 के परिपेक्ष्य में माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में लोक सूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय केन्द्रों पर उनके क्षेत्राधिकार की सीमा के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति पूर्व में जारी ओदश क्रमांक 489-97 दिनांक-06-02-2009 को अधिक्रमिक करते हुए निम्न प्रकार से की जाती है:-

| लोक प्राधिकरण का नाम                     | लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता तथा दूरभाष संख्या                                                             | सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता तथा दूरभाष नंबर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा। | श्री बी० एल० कोठारी<br>कुलसचिव<br>वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,<br>रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान) 324009 | डॉ आर०सी०भीना, क्षेत्रीय निदेशक<br>वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,<br>1938 लोहागल रोड, अजमेर (राज०)<br>पिन कोड-305001 दूरभाष न० 94140-24828<br><br>डॉ सुभाष चन्द, क्षेत्रीय निदेशक<br>वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,<br>9/4-5 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर (राज०)<br>पिन कोड-334001 दूरभाष न० 94600-60191<br><br>डॉ अवनीश चन्द्र मिश्र, क्षेत्रीय निदेशक<br>वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,<br>जे०एल०एन०मार्ग, जयपुर (राज०)<br>पिन कोड-302015 दूरभाष न० 94140-26397<br><br>डॉ जे०के शर्मा, क्षेत्रीय निदेशक<br>वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,<br>2/272-273 कुडी भक्तासनी, जोधपुर (राज०)<br>पिन कोड-342001 दूरभाष न० 94140-24834<br><br>डॉ अरविन्द पारीक, क्षेत्रीय निदेशक<br>वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,<br>वमखुवि, केम्पस, रावतभाटा रोड, कोटा (राज०)<br>पिन कोड-324009 दूरभाष न० 94140-24829<br><br>डॉ रश्मी बोहरा, क्षेत्रीय निदेशक<br>वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,<br>सूरजपोल गेट के बाहर, उदयपुर (राज०)<br>पिन कोड-3313001 दूरभाष न० 94140-24836 |

अधिनियम की प्रति पूर्व में पत्र क्रमांक स्था/2612-40 दिनांक 16.2.2006 के जरिये सभी विभागों को भिजवाई जा चुकी है।

.....2

27/6/14  
 149

अधिनियम की पालना के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश निम्न प्रकार है:-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा -5 की उपधारा-2 के तहत लोक प्राधिकरण उप खंड के स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। जो लोक सूचना अधिकारी के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को अधिकतम 05 दिवस में लोक सूचना अधिकारी को भेजेंगे। इसी प्रकार उक्त धारा -5 की उपधारा -4 के तहत लोक सूचना अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन हेतु किसी भी अन्य अधिकारी की सहायता लेने के लिए प्राधिकृत है एवं उपधारा -5 में ऐसा अधिकारी जिसकी उक्त अधिनियम की पालना हेतु उक्त धारा -4 के तहत सहायता ली गई हो वह चाही गई सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगा एवं चूक की स्थिति में ऐसे अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

धारा 5 की उपधारा (2)(4) व (5) इस प्रकार है:-

5(2) without prejudice to the provisions of sub section(1) , every public authority shall designate an officer , within one hundred days of the enactment of this Act, at each sub divisional level or other sub district level as a Central Assistant public Information Officer or a State Asst. public information officer , as the case may be, to receive the applications for information or appeals under this Act for forwarding the same forthwith to the Central Public information officer or the State Public Information officer or senior specified under sub section (I) of section 19 or the central information commission or the State information Commission as the case may be.

Provided that where as application for information or appeal is given to a Central Assistant Public information officer or a State Assistant Public information Officer as the case may be a period of five days shall be added in computing the period for response specified under sub section (I) of section 7

5(4) The Central Public Information officer or State Public Information Officer, as the case may be, may seek the assistance of any other officer as he or she considers it necessary for the proper discharge of his or her duties.

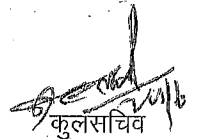
5(5) Any Officer whose assistance has been sought under sub section (4) shall render all assistance to the Central public Information Officer or state public information officer , as the case may be , seeking his or her assistance and for the purpose of any contravention of the provisions of this Act, such other officer shall be treated as a Central Public Information Officer or State public information Officer, as the case may be.

नियुक्त किए गए सहायक लोक सूचना अधिकारी के सेवानिवृत्ति /स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में उसकी सूचना विश्वविद्यालय हाजा को तुरंत देने का श्रम करें ताकि संशोधित आदेश जारी किए जा सकें।

प्रो०(डॉ०) विनय कुमार पाठक  
कुलपति

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सूचना आयुक्त,राजस्थान सूचना आयोग,झालाना लिंक रोड, ओ०टी०एस०चौराहा,जे०एल०एन० मार्ग, जयपुर(राजस्थान)
2. प्रमुख शासन सचिव,उच्च शिक्षा,राजस्थान सरकार,जयपुर
3. संभागीय आयुक्त,कोटा
4. जिला कलेक्टर,कोटा
5. सचिव,कुलपति सचिवालय,वमखुवि,कोटा
6. सभी इकाई प्रमुख वमखुवि-वेब साइट कोटा
7. निदेशक,क्षेत्रीय केन्द्र,वमखुवि,अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर

  
कुलसचिव